International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

दक्षिण राजस्थान के 'वनवासी' भील जनजाति का जीवन (उदयपुर शहर के विशेष सन्दर्भ में)

हेमलता गमेती

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

सारांश

जनजातियाँ भारत की बहुत ही प्राचीन प्रजातीय समूह है, इनका लगाव प्रकृति के साथ घनिष्ट रूप से जुड़ा होता है। जनजातियों में परम्परागत सम्पूर्ण सांस्कृतिक झलक दिखाई देती है। इनके सांस्कृतिक जीवन का वास्तव में अत्यधिक महत्व भी होता है, क्योंकि इसमें सभ्य समाज के सांस्कृतिक जीवन का आदि स्वरूप दिखाई देता है। इनका जीवन सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से भरपूर होता है। जीवन के विभिन्न पक्षों तथा समस्याओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के देवी-देवताओं पर इनका अटुट विश्वास होता है। जनजातीय समाज परम्परावादी, रूढ़ीवादी व अन्धविश्वासों से घिरा हुआ है। बहुत व्यस्त होते हुए भी अपनी आदिम संस्कृति के प्रति लगाव को बनाये रखा है। इनका अधिकांश समय पशुपालन और कृषि कार्यों में गुजरता है। वर्तमान में कुछ युवा नौकरी मे जैसे शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, इंजनियरिंग में अपना जीवन आजमा रहा है, जनजातियों मे बदलाव का प्रत्यक्ष उदारहण भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में देख सकते है। इनकी जीवन पद्धति में भी बदलाव हो रहा है। स्वभाव स्वरूप यह बहुत शर्मीले साधारण एवं अपनी बात कहने में हिचकिचाहट रखते है, कुछ गरीबी के कारण मटमेले भी रहते और दिखते है। महिलाओ को घर के काम के साथ-साथ में आय के लिए कार्य भी करने पड़ते है। एवं बच्चो को भी संभालना होता हैं। जनजातियों की प्रमुख संस्थाएँ जिसमे विवाह, परिवार, गोत्र समूह, टोटम समूह, नातेदारी सम्बन्ध की प्रधानता रहती है। यह धर्म और जादु के प्रति विश्वास रखते है। जनजातीय समाज में त्योहार उत्सव आदि बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते है। जनजातियों में सामाजिक संस्तरण भी पाया जाता है। इन समाजो में पितृसतात्मक या पितृवंशीय परिवारों का संगठन होता है। इस समाज में जीवन साथी चुनने के कई तरीके प्रचलित है।

मुल शब्द: जनजाति, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, संस्कार, धर्म, संस्कृति

जनजाति की अवधारणा

विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में जनजातियों का अस्तित्व रहा है। भारत में भी आदिवासी जनजातियों की आबादी प्राचीन समय से रही है। इसी कारण आदिवासियों को भारत का मुल आदि पुरूष कहा जाता हैं। आदिवासी प्रकृति के सबसे ज्यादा नजदीक रहा है। वो जल, जंगल, जमीन का वास्तविक रखवाला है, वे यह जानते है कि इन तीन वस्तुओं के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। जनजाति वे समूह है जो पर्यावरण के विभिन्न अंग जैसे पेड़-पौधे, जीव-जन्तु तथा पशु-पक्षीयों के साथ सह जीवन बिताते है। वर्तमान समय में अगर विश्व स्तर पर आज कही भी पर्यावरण बचा हुआ है तो वह आदिवासी क्षेत्रों में है। वे प्रकृति को माता मानते है माँ प्रकृति कहते है। जनजाति लोग प्राकृतिक वातावरण को अपना वास्तविक घर मानते हैं। वर्तमान में यह लोग राजनैतिक गतिविधियों के प्रति जागरूक होकर अपने मत को समझ रहे है। विवाह में बदलाव देखा जा रहा है।

ये विश्व के कुल क्षेत्र के एक चैथाई हिस्से के मालिक हैं। अन्य व्यक्तियों की तुलना में इनकी औसतन आयु 20 वर्ष से कम है। सम्पूर्ण विश्व के नब्बे देशों में पचास करोड़ आदिवासी है, उनकी सात हजार मातृभाषाएँ और बोलिया भी है।

"जनजाति" शब्द की उत्पत्ति ग्रीक सिटी स्टेट के समय और रोमन साम्राज्य के शुरूआती गठन के आसपास उत्पन्न हुई। 'जनजाति' शब्द लैटिन भाषा के 'TRIBUS' से लिया गया है, जिसका आमतौर पर इस्तेमाल 'एक सामाजिक रूप में सामंजस्यपूर्ण इकाई' के लिए किया जाता है।

भारत की कुल जनसंख्या 12108.55 लाख है, जिसमें अनुसूचित जनजाति 1045.46 लाख है। जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। राजस्थान में इनकी जनसंख्या 92.39 लाख है जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 8.8 प्रतिशत है।

हमारे देश में ऐसी जनजातियों की आबादी करीब अठाहर करोड़ के आसपास होगी। राजस्थान में जनजाति की आबादी कुल जनसंख्या का करीब 14 फिसदी है। राज्य के 8 जिले ऐसे है जहाँ आदिवासियों कि आबादी 70 फिसदी से अधिक है।

जनजाति के विभिन्न नाम

भारत में रहने वाली जनजातीयों को सरकारी भाषा में 'अनुसूचित जनजाति' शब्द 1941 के पश्चात कहा गया है। इन्ही समुदायों को संवैधानिक तौर पर एक अनुसूची के अन्तर्गत लाया गया है, जिसे अनुसूचित जनजाति कहते है।

1931 की जनगणना में जनजातीयों के लिये आदीवासी अथवा दलित वर्ग जैसे शब्दो का प्रयोग करते थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 में "अनुसूचित जनजाति" का उल्लेख किया गया है।

जनजातीय लोग खानाबदोशी झुण्ड, कबीले, गोत्र, आदि के रूप में रहते हैं, जनजातियों को अलग-अलग समाजशास्त्रियों और अन्य विद्वानों ने विविध नामो एबोरिजनल, स्वदेशी, आदि नामों से पुकारा जाता है। जनजातियों के लिये वेन्स ने इन्हे वन्य जाति नाम दिया है, रिवर्स, लैसी, वेरियल एलविन, सोवर्ट, ठक्कर, ग्रिग्सन आदि विद्धानो ने इनको आदिवासी नाम से सम्बोधित करते हैं। टैलेंट्स संजैनिक तथा मार्टिन ने इन्हे सर्वजीववादी कहा है। श्री जे. एच. हट्टन ने इन्हे आदिम जाति कहा है, जिसका अर्थ है देश के वास्तविक मुल निवासी है। महात्मा गांधी ने इन्हे गिरिजन की संज्ञा दी है। सरवेन्स इनको पर्वतीय जनजाति कहा है। भारतीय संविधान में इनको अनुसूचित जनजातियाँ नाम दिया गया हैं।

जी.एस. घुर्ये ने इन्हे तथाकथित आदिवासी या पिछड़े हुए हिन्दु कहा है। ऋग्वेद में चाण्डाल और निषाद शब्दो का प्रयोग आदिवासी समूह के लिये किया गया है।

अर्थ एवं परिभाषा

जनजाति, व्यक्तियों का वह समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है या विचरण करता है। किसी आदिपूर्वज से अपना उद्गम मानता है जिसकी एक सामान्य संस्कृति है और आज भी आधुनिक प्रभावों से कुछ हद तक वंचित हैं।

डॉ. मजुमदार ने जनजाति को एक ऐसा सामाजिक समूह माना है जिसका एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो अन्तर्विवाही है, जिसमें कार्यों का विशेषीकरण नहीं होता, जो जनजातीय अधिकारियों द्वारा शासित होता है, जिनकी एक भाषा या बोली होती है, जो अन्य जनजातियों या जातियों से सामाजिक दुरी को स्वीकार करता है, जो अपनी जनजातीय परम्पराओं, विश्वासों और प्रथाओं को मानता है एवं जो जातीय और क्षेत्रीय एकीकरण की एकरूपता के प्रति जागरूक होता है।

गिलिन और गिलिन के मतानुसार "स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को, जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहलाता है।"

वैरियर एल्विन (1943) ने अपनी पुस्तक एबोरिजनल्स में आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है, जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है।

संवैधानिक प्रावधान

जनजातियों की संवैधानिक सुरक्षा संविधान मे निर्माताओ ने जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुये उनके कल्याण के लिये कई तरह की व्यवस्थाए प्रदान की है-

सुरक्षात्मक, विकासात्मक, प्रशासनिक, आरक्षणात्मक

1. सुरक्षात्मक - अनुच्छेद 15, 16, 19, 23, 29, 46, 164, 330, 332, 334A, 334B, 334C
2. विकासात्मक - अनुच्छेद 15, 16, 19, 46, 275, तथा 399 अनुसुचित जनजातियों के लिये
3. प्रशासनिक - अनुच्छेद 244, 338, 339
4. आरक्षणात्मक - अनुच्छेद 325, 340 संसद एवं विधान मण्डलो में

भील जनजाति का परिचय

यह राजस्थान की पहली प्रमुख जनजाति है। जिसकी उत्पति के अनुसार यह द्रविड़ भाषा के बील शब्द से मिलकर हुई है। जिसका अर्थ तीर कमान चलाने वाला से लगाया जाता है। प्राचीन संस्कृत सांहित्य में भील शब्द लगभग सभी वनवासी जातियों जैसे निषार, शबर, के लिये समानार्थी रूप में हुआ है। दक्षिणी राजस्थान और हाड़ोती प्रदेश में भीलों के अनेक छोटे-छोटे राज्य है।

कथासरित संगारा ने गुन्धपा ने 'भील' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एक अन्य धारणा के अनुसार इसकी भीलों की उत्पति मनुस्वयंभुविना की जंघा से हुई। आइने अकबरी में भी खानदेश के भीलों का वर्णन है। इसी क्रम में रामायण महाभारत और उपनिषद् आदि ग्रन्थो में भीलों का उल्लेख मिलता हे। महाराणा प्रताप द्वारा लड़े गये युद्व में राणा पुंजा भील और कई भीलों ने भाग लिया था। राजस्थान में इस जनजाति ने कुछ समय तक राज्य भी किया था।

भील जनजातियों का जीवन

भील जनजातियों में लोग अधिकांश मजदुरी और बेरोजगारी के लिए संघर्षरत है। प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले अपने जानवरो का ख्याल करना, उसके पश्चात् अपने और परिवार के पेट को पालने के लिए इस अत्याधुनिक शहर की चकाचौंध में घर से निकल जाना। देश की आबादी के बढ़ने का असर शहरो पर तो खासा दिखता हे, अपितु गाँवो पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। देश में बढ़ती आबादी के कारण गरीबी और बेरोजगारी के कारण जनजातीय वर्ग के लोगों को जीविकोपार्जन के लिए शहरो के मुख्य चैराहों पर खड़े मजदुरो की लाइन लगी रहती है, इससे पता चलता है कि उनका कितना विकास हुआ है। और किस प्रकार का जीवन बिता रहे है। दैनिक मजदुरी के लिये भी संघर्ष कर रहे है। गाँवो से सुहब शाम आने वाले मजदुरो से भरी बसों पर इनमे सर्वाधिक जनजातीय लोग होते है। उनमें भी सर्वाधिक पुरूष होते है। कुछ महिलाये भी है। वर्तमान में जनजातियो में कुछ लोग शहर के निकट अपना स्वयं के रोजगार हेतू व्यवसाय कर रहे है जैसे- सब्जी बेचना, गन्ने का रसबेचना, सीताफल बेचना और कुछ थोड़े पढ़े-लिखे कपडो की दुकान पर कार्य करते है।

जनजाति केवल सामाजिक ही नहीं एक राजनैतिक इकाई भी है। प्रत्येक जनजाति का अपना एक वंशानुगत मुखिया होता है, जिसका काम जनजाति समाज के सम्बन्धित समस्त विषयों का निरीक्षण एवं

उस पर शासन करना होता है।

भील जनजातीय लोग आज में खुश रहते है। आने वाले कल की चिन्ता में अपना जीवन नहीं बिताते है। उनका मानना है कि आज का आनन्द लेना है, कल के बारे में सोचकर या चिन्ता करके आज को खोना नहीं है। भील लोग भोले-भाले, शर्मीले, शान्त स्वभाव के साथ-साथ ही अपनी बात को कहने में हीचकिचाहट रखते है।

यह लोग बिना वजह किसी को हानि नहीं पहुचाते है, तथा प्राकृतिक वातावरण को बनाये रखते है, प्रकृति के अनुरूप कार्य करते है। इनका सम्पूर्ण जीवन प्रकृति पर निर्भर होता है। ये लोगवन्य जीव जन्तु के साथ सह जीवन जीते है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इनके घरो में दिखता है जितनी इनको आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तु को काम में लेते है। जनजातियों में अतिथि सत्कार की परम्परा बहुत ही अच्छी विधमान है। गाँव अलग-अलग फला व पालो में बटा होता है।

जनजातीय समाज में जैसे धट्टी, खड़, मिट्टी का चुल्हा, डागली, डागला, इत्यादि परम्परागत संसाधनो की प्रधानता रहती है। लेकिन वर्तमान समय में इसकी कमी देखने को मिलती है। उदयपुर भीलों की नगरी रहा है। यहां सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है।

1. भील परिवार- इनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है। यह लोग अब शिक्षा में आगे बढ़ रहे है। जनजातियों के सामाजिक जीवन का आधार परिवार होता है। इसी में रहकर वो अपना सम्पूर्ण जीवन बिताता है। परिवार में लोग आपसी सहयोग की भावना रखते है। सीमित मात्रा में संसाधनो का प्रयोग करते है। संयुक्त और एकांकी दोनों परिवार की प्रधानता रहती है।

2. भील जनजाति का आर्थिक जीवन- अधिकतर भील परिवार कृषि कार्य एवं पशुपालन करते है। इनके पशुओं में बकरी, गाय, बैल, किसी-किसी के पास भैंस भी होती है। साथ ही खेती करके व कंदमुल बेचकर घर चलाते है। अधिकांश उदयपुर के आसपास सीताफल की अधिक पैदावार होती है। शहर में यह फल बेचने आदिवासी आते है।

3. भील जनजातियों का रहन-सहन- यह लोग साधारण जीवन जीते है। भील आदिवासियों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अपने क्षेत्र से खास अत्यधिक लगाव या जुड़ाव और उनका प्रकृति प्रेमी होना है। आदिवासियों ने ही इस धरती के जंगल को खेती लायक बनाया इसलिए यह शहर के नजदीक खेती कार्य व पशुपालन करते है। शहरी आदिवासी मुख्यतः मजदूरी कर जीवन व्यतीत कर रहा है।

4. भील जनजाति में विवाह- इनके शादी विवाह गोत्र आधारित सामाजिक परम्परा पर निर्धारित होते है। गोत्र के आधार पर मन्दिर-देवरे बने होते है। विवाह में लड़का और लड़की को वडालिया और परिवार के बड़े बुर्जुगो द्वारा पसन्द करवाया जाता है। विवाह में वधु मुल्य की प्रथा प्रचलित होती है, कोई नहीं भी लेता है, इसके पीछे कुछ कारण होते है। विवाह के दौरान सभी सदस्य घर में सामुहिक रूप से मिलकर

कार्यो को करते है। वनोला ढोल मादल पर पहुंचाते है। जनजातियों के शादी के मण्डप बहुत सुन्दर बनाये जाते है। मण्डप की बांस भी बडी विधि-विधान पुजा व गीतो की गूंज एवं नाच गान के साथ लाया जाता है। दुल्हे के स्वागत में जब तोरण वादता है, तो दुल्हन के द्वारा उसके उपर मोटा अनाज गेहु, मक्की या फिर चावल फेंके जाते हैं। ये परम्परा आज भी प्रचलित है।

5. भील जनजातियों के जन्म और मृत्यु उपरांत पर संस्कार- इनमें बच्चे के जन्म के बाद सुरज पुजन किया जाता है। तथा चुल्हे की राख के लड्डू बनाकर चारो दिशाओ के मकान पर फेकने के पिछे यह धारणा होती है कि उन घरों मे भी बच्चा हो। जन्म दिवस मनाने की प्रथा आज के सभ्य समाज के सम्पर्क का परिणाम है, और युवा पीढ़ी द्वारा शुरू किया गया उत्सव है। जनजातियों में मृत्यु संस्कार उपरान्त में सामान्यत पुरूष या महिला के हिसाब से बारह दिन या तैरह दिन की बैठक रखी जाती है। उसके बाद आखरी दिन धुप देने का संस्कार किया जाता है। जनजातियों में द्वितीय या तृतीय दिन अस्थि विसर्जन या फुल गोलने की परम्परा होती है। इसके लिए मातृकुण्डिया या फिर हरिद्वार जाते है। धुप देने के बाद ढोल देने की रस्म की जाती है। साथ पाँच गीत गाते जाते है और घर की सभी महिलाये व पुरूष सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ढोली को कुछ दान जैसे 5, 10 या 20 रूपये तक एवं अनाज रखते है और रस्म की जाती है। जनजातियो में पुर्वज का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परिवार में कुछ भी नुकसान या बिमारी हो जाती है तो बावजी (भोपे द्वारा) के पुछ कराते है और पाथी मांगते है, सामान्यतया यह मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति पुर्वज बेठना चाहते है, बाद में कार्तिक पुर्णिमा को जागरण देकर पुर्वज बिठाते है।

6. भील जनजातियों का पहनावा- इनका पहनावा बहुत सुंदर चटक चमकीला होता है। पुरूष- कमीज, धोती व महिला- घागरा, ओंढ़नी, अंगरखी में चार चांदी के बटन और पुरूष के 3 बटन (गुंडियाँ) लगे होते थे। पुरूषों द्वारा सर पर पागडी बांधी जाती है या सिर पर लाल व सफेद अंगोछा बांधते है।

7. भील जनजातियों का धर्म- धर्म का सम्बन्ध टोटम से होता है धर्म के प्रति आस्था इनकी बहुत होती है। ये लोग बिना धार्मिक कर्मकाण्ड किये कुछ भी काम नहीं करते है। शुभ-अशुभ अवसर पर विश्वास करते है। ज्यादातर अपनी आम भाषा का प्रयोग करते हैं। जनजातियों के लोग गोत्र अनुसार देवी-देवता की पुजा करते है। मुख्य देवी-देवता में आशापुरा, अदाकिया बावजी, भैरू जी बावजी, धर्म राज बावजी, राड़ा जी बावजी, कालका माता, दुर्गा माता, महादेव, पार्वती आदि का पूजन करते है। अधिकांश देवी-देवताओं के पर्व या मुख्य अवसरो में मन्दिरों की यात्राएं करते है।

8. भील जनजातियों की संस्कृति- सांस्कृतिक जीवन में इनके तीज उत्सव बहुत कुछ धार्मिकता लिये होते है। जनजातीय संस्कृति में उनके मेले, तीज-त्योहार, उत्सव का अपना एक अलग ही महत्व होता है। मेले सम्पूर्ण लोक संस्कृति को प्रदर्षित करते है, मेले में यहा कभी रिश्ते बनते है, तो कभी टुटते भी है।

कुछ समय पहले बहन भाइयो का आपस में मेले में मिलन पर माला पहनाई जाती थी। अब ये देखने को नही मिलता है। जनजातियो की गोदना-गुदवाना की परम्परा ही वर्तमान में टैटु का रूपान्तरित रूप है, मेलो में परम्परागत वस्त्रो, आभूषणो और आदिम संस्कृति की झलक दिखती हैं।

9. भील जनजातियों के परम्परागत आभूषण- परम्परागत आभूषणों में महिलाये बोर बांधना, झेले पहनना, कड़िया, हसली, पिझणिया, कंदोरे तथा महिलाये अगरकिया में चादी के बटन (गुडियाँ) आदि पहनते है। पुरूषो की भी कमीज पर तीन बटन लगाते थे। कानो में मुँरकिया और हाथ व पैरो में नार मुख की आकृति के कड़े पहनते थे। अब इन आभूषणो में कमी आ गई है।

10. भील जनजातियों का खान-पान- जनजातीय जीवन जीने वाले लोगो का मुख्यतः भोजन जंगल व जमीन से मिलने वाले खाद्य पदार्थों पर आधारित होता है। आदिवासी वर्तमान में दालें, हरी सब्जियों और मांस का सेवन करते है। कुछ अवसरों पर पशु मांस का सेवन करते है। आदिवासी खाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में अत्यधिक मसालों का प्रयोग कर स्वादिष्ट खाना खाना पसन्द करतें है। साधारणतः सादा खाना ही खाते है जिसमें मक्की व गेहूं की रोटी का उपयोग करते है।

11. परम्परागत उपचार- ये लोग सदिर्यो में खासी जुकाम में कलद उबाल कर पी लेते है साथ ही शराब को भी सर्दी जुकाम आदि में काम में लेते है। पेड-पौधो से प्राप्त जडी- बूटियों को इलाज के लिये अपनाते है। इनमे कागला होना, बुखार, सांप के काटने आदि के ईलाज के लिए पहले देवी-देवता के पास जाते है और बाद में अस्पताल ले जाते है।

जनजातियों की विशेषताएँ

1. जनजातीयों का सामाजिक संगठन गोत्र एवं गोत्र समूह पर आधारित होता है।
2. इनमें नातेदारी सम्बन्धों की प्रधानता रहती है।
3. इनका सामान्य निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता हैं- जैसे अधिकांश ये लोग जगलों, पहाड़ो और शहर से दुर एकान्त क्षेत्र में रहते है।
4. एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंध भी होता है।
5. इनमें राजनीतिक संगठन की प्रधानता होती है।
6. एक भाषा और संहारक संघर्षो की अनुपस्थिति को एक जनजाति की मुख्य विशेषताओ के रूप में माना जाता है।

ए.आर. देसाई (1961) ने अपनी कृति 'रूरल इण्डिया इन ट्रांजिशंकन' में जनजातियों के कुछ सामान्य लक्षणों का वर्णन किया है।

1. ये सभ्य जगहों से दूर पहाड़ों तथा जंगलों में निवास करती है।

2. यह निग्रिटोज स्ट्रोलायड अथवा मंगोलायड में से एक प्रजातीय समूह से सम्बद्ध है।
3. ये जनजातीय भाषा का प्रयोग करती है।
4. यह आदिम धर्म में आस्था रखती है जिसमें भूत-प्रेत व आत्माओं का पूजन-अर्चन होती है।

जवाहरलाल नेहरू ने आदिवासियों की नीति के लिए निम्नलिखित पांच सिद्धांत (पंचशील), तैयार किए -

1. लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार विकसित होना चाहिए, और विदेशी मूल्यों को थोपने से बचना चाहिए।
2. भूमि और जंगल में आदिवासी अधिकारों का सम्मान किया जाये
3. आदिवासियों की टीमों को प्रशासन और विकास के कार्यों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
4. जनजातीय क्षेत्रों को अत्यधिक प्रशासित या योजनाओं की बहुलता से अभिभूत नहीं होना चाहिए।
5. परिणामों का आकलन आंकड़ों या खर्च की गई राशि से नहीं, बल्कि विकसित मानव चरित्र से किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

वर्तमान में जनजातियों मे बदलाव का रूप नजर आ रहा है। चाहे बोलचाल की भाषा हो या रहन-सहन का तरीका हर तरफ कुछ नयापन दिखता है। हम यह कहे कि आज भी जनजातीय उसी तरह का जीवन जी रहे है, तो यह सच नहीं हो सकता है। बदलाव किसी भी रूप में देख सकते है।

आज भील जनजाति चाहे दूर पहाड़ो, जंगलों या शहरों में अपना जीवनयापन कर रही हो परन्तु आज भी अपनी जीवनशैली और परम्पराओं के साथ रह रहा है। भील जनजाति संकोच और शर्म से भरपूर है परन्तु समय-समय पर कई वीर योद्धा इस जनजाति में हुए है। सम्मानपूर्वक जीवन इन्हें पसंद है। धनुष-बाण भीलों की प्रमुख पहचान है। समय के साथ बदलाव सभी जनजातियों पर असर छोड़ता है। कुछ-कुछ बदलाव इनमें भी हुए जिसमें शिक्षा का योगदान सर्वाधिक देखा जा सकता है।

संदर्थ ग्रंथ सुची –

1. International Work Group for Indigenous Affairs, VIGIA, World Bank
2. कुमार, के. अनिल. (2021). "जनजाति की अवधारणा" प्रकाशकः इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
3. Census 2011, Office of the Registrar General, India
4. राजस्थान सुजस - आदिवासी कल्याण विशेषांक 20 अगस्त 2022, वर्ष 31, जन सूचना केन्द्र, उदयपुर, पृष्ठ संख्या 11 अंक - 8
5. शर्मा, वीरेद्र प्रकाश. (2004). "भारत में समाज" प्रकाशक, पंचशील प्रकाशन (प्रथम), जयपुर, पृष्ठ सं.

90

6. मजुमदार, डी. एन. (1958). “रेस एंड कल्चर आफॅ इण्डिया”, एशिया पब्लिसिंग हाउस बाम्बे, पृष्ठ सं. 355
7. जी.एस. घुर्ये, "कास्ट, क्लास ऐन्ड औक्युपेशन", पृ.सं. 52
8. Gillin and Gillin, (1950). "Cultural sociology", The Macmillan Co. (New York) P-282
9. दोषी, एस. एल. (2009). "समकालीन मानवशास्त्र", रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ.सं. 104
10. जनवरी-मार्च - (2018). जनजाति विधिक अधिकार विशेषांक "ट्राईब", माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति, शोध संस्थान, उदयपुर (राजस्थान)
11. मुकजी, रवीन्द्र नाथ. (2008). "सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा", प्रकाशक-विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली-7 पृ.सं. 64
12. शर्मा, रवीन्द्र नाथ. (2018). "जनजातीय समाज और धर्मानतरण", पृष्ठ संख्या 18
13. नेहरू, जवाहरलाल. (1889-1964). "द राइट एप्रोच टू ट्राईबल पीपल", इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, वॉल्यूम एक्स आई वी 1953-4 पीपी. 231-5